कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं.-प्रशासन-I(ले.प.)/विविध/चुनाव/21-22/C-262 दिनांक: 25.10.2021

कार्यालय आदेश

राज्य में हो रहे बिहार पंचायत आम निर्वाचन-2021, में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं-12/14/99-JCA दिनांक 10.10.2001 के अनुसार, मतदान के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हुए मतदान के दिन कार्यालय विलंब से आने अथवा कार्यालय पहले छोड़ने अथवा कार्यालय अवधि के दौरान कुछ देर की अनुपस्थिति की विशेष अनुमति का प्रावधान है।

उक्त के संबंध में कार्यालय में कार्यरत वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो अपने संबन्धित पंचायत में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक हैं, वे मतदान के दिन कार्यालय विलंब से आने अथवा कार्यालय पहले छोड़ने अथवा कार्यालय अवधि के दौरान कुछ देर की अनुपस्थिति के लिए विशेष अनुमति अपने स्कन्ध अधिकारी/नियंत्री अधिकारी से प्राप्त करेंगे। साथ ही मतदाता पहचान पत्र एवं मतदाता सूची की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

(प्राधिकार: महालेखाकार(ले.प.) का आदेश दिनांक- 25/10/2021)

ह./-

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः-

1. सचिव, महालेखाकार (ले0प0)बिहार, पटना ।
2. सभी स्कन्ध अधिकारीगण का सचिवालय ।
3. व.ले.प.अ./ए.एम.एस. अनुभाग को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश का प्रकाशन कार्यालय के वेब-साइट पर किया जाए ।
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
5. सूचना पट्ट ।

25/10/2021

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी(प्रशासन)